गुजरात ले जा रहे थे 5 करोड़ की अवैध शराब:सोयाबीन के कट्टों में छिपाई थी, उदयपुर में कंटेनर जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार

बढ़ते कदम

उदयपुर। के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने पंजाब और राजस्थान निर्मित 5 करोड़ रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। कंटेनर में सोयाबीन के कट्टों की आड़ में अवैध शराब के 1203 कर्टन रखे मिले। पुलिस ने कंटेनर जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये शराब तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही थी। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने कहा- आरोपी ड्राइवर गोपाल सिंह, पुत्र छोग सिंह, निवासी धोरा राजवा, ब्यावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक्साइज एक्ट के तहत मामला

दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह चारण मामले की जांच कर रहे हैं। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने पंजाब और राजस्थान निर्मित 5 करोड़ रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने पंजाब और राजस्थान निर्मित 5 करोड़ रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। ोयाबीन के कट्टों की आड़ में रखी थी अवैध शराब एसपी गोयल ने बताया कि 5 मार्च को थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध अंग्रेजी शराब से भरा एक कंटेनर डाकन कोटड़ा से काया हाईवे होते हुए गुजरात की तरफ जाएगा। सूचना पर पुलिस टीम ने काया पुलिया पर नाकाबंदी की। इस दौरान मुखबिर के बताए हुलिये का एक कंटेनर ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकवाया। ड्राइवर से नाम-पता पूछा। वाहन में भरे माल के बारे में पूछा तो वह आना-कानी करने लगा। पुलिस ने वाहन चेक किया तो ट्रक में सोयाबीन के कट्टों की आड़ में विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब के कुल 1203 कर्टन भरे होना पाया गया। ड्राइवर के पास शराब परिवहन करने और अपने कब्जे में रखने संबंधी कोई वैध लाइसेंस नहीं था। इसके बाद पुलिस ने शराब जब्त करते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।

भीलवाड़ा पहुंचे राजस्थान किसान आयोग अध्यक्ष:बोले- किसानों की समस्याओं के समाधान करें; फसल उत्पादन और बीमा योजना की समीक्षा

बढ़ते कदम

भीलवाड़ा। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सी.आर. चौधरी ने समीक्षा बैठक ली राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सी.आर. चौधरी ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कृषि एवं किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। बैठक में किसानों की समस्याओं, कृषि विकास कार्यक्रमों तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रोजेक्टर पर पीपीटी के माध्यम से प्रजेंटेशन दिया गया। प्रोजेक्टर पर पीपीटी के माध्यम से प्रजेंटेशन दिया गया। किसानों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के निर्देश अध्यक्ष चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की समस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य किया जाए। साथ ही किसानों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, इसलिए किसानों के हितों की रक्षा और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। फसल उत्पादन और बीमा योजना की समीक्षा बैठक में जिले में फसल उत्पादन, उर्वरक और बीज की उपलब्धता, कीट एवं रोग नियंत्रण तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समय पर समाधान प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। समीक्षा बैठक में किसानों के साथ नियमित संवाद कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिये समीक्षा बैठक में किसानों के साथ नियमित संवाद कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिये फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती पर जोर चौधरी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण, आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को किसानों के साथ नियमित संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने को कहा। पीपीटी के माध्यम से दी योजनाओं की जानकारी बैठक के दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों ने जिले में संचालित कृषि योजनाओं की प्रगति के बारे में प्रोजेक्टर पर पीपीटी के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन, उद्यान विभाग के उपनिदेशक शंकर सिंह राठौड़, आत्मा परियोजना निदेशक संतोष तंवर, सहायक निदेशक धीरेंद्र सिंह राठौड़, सहायक निदेशक मुख्यालय किशन गोपाल जाट सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

सलूंबर में युवती का किडनैप करके किया रेप:विरोध करने पर पीटा, दांत तोड़ा, जान से मारने की धमकी दी

बढ़ते कदम

भीलवाड़ा। सलूंबर जिले के जावर माइसं थाना क्षेत्र में चाकू की दम पर युवती के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर युवती को बुरी तरह पीटा। मारपीट में युवती का दांत टूट गया। शरीर पर भी चोट लगी। पीडि़ता ने थाने में नामजद 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच करते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी है। हैडपंप पर पानी भरने आई थी, जबरन बाइक पर बैठा ले गए थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार,पीड़िता अपने घर से कुछ दूर हैंडपंप पर पानी भरने गई थी। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने घेर लिया। आरोपी युवती को डरा-धमका कर जबरन एक गेस्ट हाउस ले गए। वहां आरोपियों ने युवती की गर्दन पर चाकू रख दिया और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने इसका विरोध करते हुए खुद को बचाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। जिसमें युवती का एक दांत टूट गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़िता को एक सुनसान जगह पर असहाय स्थिति में छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़िता जैसे-तैसे पुलिस थाने पहुंची और आपबीती बताई। इसके बाद 2 युवकों पर मुकदमा दर्ज किया गया। सलूंबर एसपी राजेश कुमार यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत विशेष टीमों का गठन किया।

घरेलू गैस सिलेंडर हुआ महंगा

बढ़ते कदम

भीलवाड़ा। मध्य पूर्वी देशों में चल रहे युद्ध का असर अब भारत में दिखना शुरू हो गया है। इसी के चलते तेल और गैस कंपनियों ने आज पूरे देश भर में घरेलू और कमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की है। घरेलू गैस सिलेंडर में 60 और कमर्शियल गैस सिलेंडर 115 रुपए महंगा हुआ है। भारत गैस एजेंसी के विनोद भंडारी ने बताया की नई रेट के मुताबिक अब भीलवाड़ा में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर 60 महंगा होने के बाद से अब 933 रुपए में मिलेगा।

बस का इंजन बदला, आरसी में अपडेट नहीं, बीच रास्ते बस सीज, सवारियां घंटों परेशान

बढ़ते कदम

बीकानेर। प्रादेशिक परिवहन विभाग की कार्रवाई शुक्रवार को यात्रियों के लिए भारी परेशानी का कारण बन गई। बीकानेर से लूणकरणसर जा रही एक निजी बस को परिवहन निरीक्षक ने बीच रास्ते रोककर सीज कर दिया। बस में निर्धारित इंजन की जगह दूसरा इंजन लगा हुआ था, जबकि वाहन की आरसी में इसका अपडेट नहीं कराया गया था। परिवहन निरीक्षक संतोष कुमार ने मुख्यालय से मिले निर्देशों के आधार पर बीछवाल के पास बस को रोककर जब्त कर लिया। इसके बाद बस को सवारियों सहित आरटीओ कार्यालय ले जाया गया। बस में कई बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और डॉक्टर को दिखाकर लौट रहे मरीज भी बैठे थे, जिनमें कुछ के हाथ में प्लास्टर और कैनूला तक लगा हुआ था। बस जब आरटीओ परिसर पहुंची तो यात्रियों को करीब डेढ़ घंटे तक वहीं बैठकर इंतजार करना पड़ा। इस दौरान यात्रियों को दूसरी बस उपलब्ध नहीं कराई गई। कई सवारियां भूखे-प्यासे परिसर में बैठी रहीं, जबकि कुछ यात्री सामान लेकर पैदल ही दूसरे साधनों की तलाश में निकल पड़े। यात्रियों ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए डीटीओ कार्यालय के बाहर नाराजगी भी जताई। बाद में विरोध बढ़ने पर करीब डेढ़ घंटे बाद दूसरी बस की व्यवस्था कर सवारियों को उनके गंतव्य स्थान की ओर भेजा गया। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं ने भी इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। एडवोकेट हनुमान प्रसाद शर्मा, बनवारी लाल और कैलाश सियाग ने कहा कि नियमानुसार सवारियों से भरे यात्री वाहन को जब्त करने से पहले यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। यात्री बोले- हमें यहीं उतार देते तो दूसरी गाड़ी पकड़ लेते बस में सवार एक महिला यात्री ने बताया कि वह बीकानेर में डॉक्टर को दिखाकर गांव लौट रही थी। अचानक बस को रोककर आरटीओ कार्यालय ले जाया गया। हम बार-बार कहते रहे कि हमें रास्ते में ही उतार दो ताकि हम दूसरी गाड़ी पकड़ लें, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। मुझे बार-बार चक्कर आ रहे थे, फिर भी हमें बस में ही बैठाए रखा गया। एक अन्य यात्री ने बताया कि बस में कई बुजुर्ग और मरीज थे। करीब डेढ़ घंटे तक हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। बाद में दूसरी बस आई तब जाकर राहत मिली। मुख्यालय के निर्देश पर की कार्रवाई परिवहन निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि संबंधित बस में निर्धारित इंजन के स्थान पर दूसरा इंजन लगाया गया था और इसका आरसी में अपडेट नहीं कराया गया था, जो परिवहन नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि मुख्यालय से मिले निर्देशों के आधार पर बस को शुक्रवार को बीछवाल के पास सीज किया गया। बस में बैठी सवारियों को कुछ समय के लिए असुविधा जरूर हुई, लेकिन बाद में उन्हें दूसरी बस के माध्यम से उनके गंतव्य स्थान पर भेज दिया गया। फिलहाल बस को आरटीओ कार्यालय में जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

ट्रैक्टर से गिरने से महिला की मौत:सिर पर लगी थी गंभीर चोट, मजदूरी कर घर लौटते समय हुआ हादसा; ड्राइवर डिटेन

बढ़ते कदम

भीलवाड़ा। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। भीलवाड़ा में ट्रैक्टर पर बैठकर जा रही महिला नीचे गिर गई। हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोट लगी। लोग उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर तेज स्पीड में था और ड्राइवर ने ट्रैक्टर से अपना कंट्रोल खो दिया। इसी दौरान ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ा और उस पर बैठी महिला नीचे गिर गई। मामला सुभाष नगर थाना क्षेत्र का है। राजीव गांधी ऑडिटोरियम के बाहर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर से ड्राइवर ने स्पीड ब्रेकर पर कंट्रोल खो दिया। इस दौरान ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ा

और उस पर बैठी महिला सड़क पर गिर गई। हादसे में महिला को गंभीर चोट आई। मौके पर मौजूद लोगों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से महिला को अस्पताल भिजवाया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मजदूरी कर ट्रैक्टर से लौट रही थी महिला महिला की पहचान बालाजी का खेड़ा कच्ची बस्ती निवासी कमला(50) पत्नी नानू भील के रूप में हुई है। महिला मजदूरी करके इस ट्रैक्टर से लौट रही थी। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। सूचना पर सुभाष नगर थाना मौके पर पुलिस पहुंची और ट्रैक्टर को जब्त कर ड्राइवर को डिटेन किया है। फिलहाल ड्राइवर से पूछताछ जारी है।

उदयपुर में नगर निगम की ई-लाइब्रेरी हुई स्मार्ट

बढ़ते कदम

उदयपुर। राजस्थान की इस दूसरी सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी ने खुद को %स्मार्ट% बनाने के लिए आरएफआईडी (ऋन्नङ्घ्ठ) ऑटोमेशन सिस्टम को अपना लिया है। इसके लिए 18 लाख की लागत से पांच अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। राजस्थान की इस दूसरी सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी ने खुद को %स्मार्ट% बनाने के लिए आरएफआईडी (ऋन्नङ्घ्ठ) ऑटोमेशन सिस्टम को अपना लिया है। इसके लिए 18 लाख की लागत से पांच अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। उदयपुर में अशोक नगर स्थित नगर निगम की ई-पब्लिक लाइब्रेरी अब पूरी तरह बदल गई है। राजस्थान की इस दूसरी सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी ने खुद को %स्मार्ट% बनाने के लिए आरएफआईडी (ऋन्नङ्घ्ठ) ऑटोमेशन सिस्टम को अपना लिया है। इसके लिए 18 लाख की लागत से पांच अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। यह तकनीक आने वाले समय में छात्रों और शोधकर्ताओं के पढ़ने के अंदाज को पूरी तरह बदल

देगी। अब यहां पुरानी फाइलों और कागजी कार्रवाई का दौर खत्म हो गया है और उसकी जगह अत्याधुनिक मशीनों ने ले ली है। लाइब्रेरी के इस कायाकल्प में रैपिड रेडियो कंपनी के सिस्टम और %सोल% (स्न्ह्ररु) लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का मेल किया गया है। हर दिन 50 से 60 स्टूडेंट आते पुस्तकालयाध्यक्ष राव भगवत सिंह ने बताया कि अब लाइब्रेरी में एंट्री से लेकर किताब घर ले जाने तक का सारा काम ऑटोमेटिक होगा। जब कोई छात्र लाइब्रेरी में कदम रखेगा, तो उसे किसी रजिस्टर में नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गेट पर लगे डिजिटल रीडर छात्र के आरएफआईडी कार्ड को खुद स्कैन कर लेंगे और उनकी हाजिरी लग जाएगी। इससे न केवल समय बचेगा, बल्कि सुरक्षा भी मजबूत होगी। इस लाइब्रेरी का उद्घाटन साल 2022 में हुआ था, लेकिन मशीनें उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे डिजिटल रूप में शुरू नहीं किया जा सका। करीब 5 महीने पहले सभी मशीनें लाइब्रेरी पहुंचीं। फिलहाल रोजाना 50 से 60 स्टूडेन्ट्स अध्ययन के लिए आ रहे हैं, जबकि इसके 500 सदस्य हैं। लाइब्रेरी के ग्राउंड फ्लोर पर 50 और फ्स्ट फ्लोर तल पर 100 पाठकों के बैठने की कैपिसिटी है। मेंबर बनने के लिए 5 रुपए का फॉर्म शुल्क निर्धारित है। 8 से 10 करोड़ ई-बुक्स ऑनलाइन उपलब्ध लाइब्रेरी में 8 से 10 करोड़ ई ुक्स ऑनलाइन और 40 हजार से ज्यादा फिजिकल किताबें उपलब्ध हैं। सभी पुस्तकों पर एंटी-थेफ्ट स्टीकर और लाइब्रेरी की पहचान अंकित है। किताबों की सुरक्षा के लिए यहां खास इंतजाम किए गए हैं। हर किताब में एक विशेष आरएफआईडी टैग लगाया गया है। अगर कोई बिना एंट्री कराए किताब बाहर ले जाने की कोशिश करेगा, तो गेट पर लगा अलार्म तुरंत बज उठेगा। इससे लाइब्रेरी की कीमती किताबों की चोरी रुक सकेगी। वहीं, छात्रों की सुविधा के लिए सेल्फ-सर्विस कियॉस्क लगाए गए हैं। यहां छात्र बिना किसी कर्मचारी की मदद के खुद ही जान सकेंगे कि उनके नाम पर कौन सी किताब है, कब लौटानी है या कितना जुर्माना बाकी है। सबसे खास सुविधा 24 घंटे काम करने वाला ड्रॉप बॉक्स है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda | बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा- मानटाउन शाखा, सवाई माधोपुर, राजस्थान | **मांग सूचना**

ऋणियों को नोटिस (सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न ऋणी के खाते के एन.पी.ए. होने के कारण ऋण राशी एवं भविष्य का ब्याज जमा कराने के लिए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिन का नोटिस दिया गया था। नोटिस के अनुसार 60 दिन में ऋण राशि जमा नही कराने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ऋण की राशि वसूल की जानी थी। चूँकि आपको उक्त एक्ट के अर्न्तगत भेजे गये कुछ नोटिस की तामील का दस्तावेज शाखा को प्राप्त नही हुआ है। अतः जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 60 दिवस के भीतर निम्न सूची के अनुसार ऋण राशि व भविष्य का ब्याज एवं खर्चा जमा करायें अन्यथा नोटिस प्रकाशन से 60 दिन पश्चात उक्त एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

13(2) के अंतर्गत नोटिस की दिनांक	ऋणी / सह-ऋणी / जमानतदार का नाम व पता	बकाया राशि	बैंक द्वारा प्रभारित प्रतिभूतियों का संक्षिप्त विवरण
26.02.2026	मैसर्स दीपक मोबाईल्स प्रोप. स्व. श्री दीपक कृपलानी पुत्र श्री महेश कृपलानी (ऋणी) जरिये इसके कानूनी वारिस श्री महेश कृपलानी, श्रीमती रेखा कृपलानी, श्री रवि कृपलानी पता- 36, राजविहार कॉलोनी, दशहरा मैदान के पास, सवाई माधोपुर, राजस्थान-322001 A/c No.: 01170400012611	रू. 6,03,682.95 +दिनांक 21.07.2025 तक + से आगे का ब्याज, प्रभार एवं खर्चे; एनपीए दिनांकः 21.07.2025	दृष्टिबंधक चालू संपत्तिया, कच्चे माल का स्टॉक, अर्ध-निर्मित माल, स्टोर्स एवं स्पेयर्स, पैकिंग सामग्री आदि का दृष्टिबंधन मैसर्स दीपक मोबाईल्स, दुकान नं. 20, शिव कपड़ा मार्केट, राइट गली बांगड़ कटला, बजरिया, सवाई माधोपुर, राजस्थान - 322001 में स्थित है।
26.02.2026	मैसर्स महादेव ट्रैक्टर, प्रोप. श्री मोहन लाल खोरवाल पुत्र श्री रामजी लाल खोरवाल (ऋणी) पताः रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने, टोंक रोड, अशोक नगर, खेरडा, सवाई माधोपुर, राजस्थान - 322001 यहां भी - निवास पताः S/o श्री रामजी लाल खोरवाल, 32, प्रेम मंदिर के पास, बजरिया, सवाई माधोपुर, राजस्थान - 322001 A/c No 01170500012371	रू. 9,85,410.76 +दिनांक 02.10.2025 तक + से आगे का ब्याज, प्रभार एवं खर्चे; एनपीए दिनांकः 02.10.2025	दृष्टिबंधक चालू संपत्तिया, कच्चे माल का स्टॉक, अर्ध-निर्मित माल, स्टोर्स एवं स्पेयर्स, पैकिंग सामग्री आदि का दृष्टिबंधन मैसर्स महादेव ट्रेक्टर, रिलाइंस पैट्रोल पम्प के सामने, टोंक रोड, अशोक नगर, खेरड़ा, सवाई माधोपुर, राजस्थान-322001में स्थित है।
26.02.2026	मैसर्स मनीष सेल्स प्रोप. श्री मनीष अग्रवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल (ऋणी) पताः 2/43, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सवाई माधोपुर, राजस्थान - 322001 A/c No 01170400012091	रू. 4,25,851.96 +दिनांक 09.04.2025 तक + से आगे का ब्याज, प्रभार एवं खर्चे; एनपीए दिनांकः 09.04.2025	दृष्टिबंधक चालू संपत्तिया, कच्चे माल का स्टॉक, अर्ध-निर्मित माल, स्टोर्स एवं स्पेयर्स, पैकिंग सामग्री आदि का दृष्टिबंधन मैसर्स मनीष सेल्स, 2/43, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सवाई माधोपुर, राजस्थान - 322001 में स्थित है।

दिनांकः 08.03.2026 स्थानः सवाई माधोपुर प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

यूको बैंक UCO BANK भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking सम्मान आपके विश्वास का Honours Your Trust

अंचल कार्यालय-अजमेर; प्लॉट नंबर सी-113 और 114, बीके कोल नगर, अजमेर 305001
ईमेल आईडीः zoajmer.rec@uco.bank.in

[नियम 8(6)] अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) सरफेसी नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियो के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। आम लोगो को और विशेष रूप से उधार लेने वाले और ऋणियों एवं जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित है, का सांकेतिक कब्जा यूको बैंक, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर ई-नीलामी द्वारा निम्नलिखित ऋणी / बंधककर्ता / जमानतदार के बकायों एवं ब्याज एवं खर्चो की वसूली हेतु विक्रय किया जाएगा। नीलामी प्रक्रिया का सम्पूर्ण विवरण नीचे दिया गया हैः-

ई-नीलामी की दिनांक और समयः 20.04.2026 को दोपहर 01.00 बजे से शाम 5:00 बजे तक। संपत्ति निरीक्षण की दिनांकः 20.03.2026 एवं 10.04.2026 को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे के मध्य

प्रतिभूत आस्तियों का विवरण

ऋणी और जमानतदार नाम / पता एवं शाखा का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की सूचना	बकाया राशि
ऋणीः- मैसर्स नारायण जी मगन लाल कसेरा, जरिए प्रोप. श्री हेम कुमार भालिया पुत्र श्री देव करण भालिया (मृतक के बाद से) जरिए इसके कानूनी वारिसों (1) श्री छत्र पाल भालिया पुत्र श्री हेम कुमार भालिया (कानूनी वारिस और गारंटर), (2) श्रीमती उमा देवी पत्नी हेम कुमार भालिया (पत्नी (मृतक के बाद से)), (3) श्री विनोद कुमार भालिया पुत्र हेम कुमार भालिया (बेटा), (4) श्री निर्मल कुमार भालिया पुत्र हेम कुमार भालिया (बेटा), (5) श्री छत्र पाल भालिया पुत्र हेम कुमार भालिया (बेटा); संपर्क :- श्री अमित शर्मा, CM, फ़ोन नंबर: 92305-10139, रिकवरी इंचार्ज श्री कमल किशोर डाबरा - मो.99280-81989	आवासीय मकान जिसमें हाउस नं.3/352, लाडपुरा, कोटा मुख्य में स्थित, क्षेत्रफलः-1080 वर्गफीट; टाइटल डीड 13-05-1999, बुक नंबर 1, जिल्द नंबर 708, सीरियल नंबर 2815, पेज नंबर 162 के साथ सब रजिस्ट्रार कोटा के ऑफिस में श्री हेम कुमार भालिया उर्फ श्री रतन लाल पुत्र श्री देव करण भालिया के नाम पर रजिस्टर्ड है। सीमाएं-टाइटल डीड के अनुसार, पूर्व- श्री प्रद्युम्न कुमार का घर, पश्चिम- आम रास्ता, उत्तर- रोड, दक्षिण- रोड	रू. 34,92,900.00 i.e 34.93 लाख / रू. 3,49,300.00 (ईएमडी जमा की अंतिम तिथि 19.04.2026 को प्रातः11.00 बजे तक) / बोली वृद्धि राशि- रू. 10000/-	02.07.2025	09.02.2026 सांकेतिक कब्जा	रू.17,68,978.82 (सत्रह लाख अडसठ हजार नौ सौ अठ्ठहत्तर रुपये और बियासी पैसे मात्र) 18.06.2025 तक बकाया (दिनांक 31.05.2025 तक ब्याज शामिल एवं दिनांक 01.06.2025 से यूको बैंक को देय भुगतान तक के खर्चे, यदि कोई वसूली हो तो उसे घटाकर

ज्ञात ऋणभार का विवरणः- ज्ञात नहीं। नियम एवं शर्तेः- 1. बिक्री प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम एवं शर्तो के अधीन होगी। बिक्री से संबंधित नियमों व शर्तो की जानकारी दी गई वेबसाईट/वेबपोर्टल i) https://baanknet.com/ ii)https://baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration पर उपलब्ध है। 2. संपत्ति को "जैसा है जहां है" तथा "जैसा है जो भी है" "जो कुछ भी है" के आधार पर विक्रय किया जा रहा है। 3. प्रतिभूत संपत्तियों का उपरोक्त विवरण प्राधिकृत अधिकारी की उत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलती या चूक के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नही होगा। 4. बिक्री अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दी गई ई-नीलामी प्लेटफार्म वेबसाईट https://baanknet.com/ के माध्यम से दिनांक 20.04.2026 को दोपहर 01.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक होगी। 5. नीलामी सेवा प्रदाता पीएसबी एलायंस ई-बिक्रय (support.BAANKNET@psballiance.com; संपर्क नं. 8291220220), 6. बैंक एक प्रतिनिधि नियुक्त करने और स्वयं बोली लगाने तथा नीलामी में भाग लेने के लिए स्वतंत्र है।

दिनांकः 07.03.2026; स्थानः अंचल कार्यालय, अजमेर | प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अधीन 30 दिवस की विक्रय की वैधानिक सूचना | कोटा मुख्य प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक